

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 149/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्री जगदीश मौर्य,
2. श्रीमती राम प्यारी देवी पत्नी श्री जगदीश मौर्य,
3. श्री महेश कुमार मौर्य पुत्र श्री जगदीश मौर्य,
निवासीगण:-प्लॉट नम्बर 28-ए, गणेश विहार, विजयपुरा, आगरा रोड, जिला जयपुर।
4. श्री रामप्रसाद धानका पुत्र श्री प्रभात धानका,
निवासी:- रैगरों का मोहल्ला, ग्राम निवारू, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री हेमन्त विजय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।


आदेश


दिनांक: 05.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.08.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रामप्यारी देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 28-ए, गणेश विहार, विजयपुरा, आगरा रोड, जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर 8,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.03.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री हेमन्त विजय ने वकालतनामा पेश किया। जवाब बहस हेतु अवसर चाहा गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भरोसा/निर्देश अदालत/कोर्ट किया गया।
4. अप्रार्थी ने जवाब-बहस हेतु समय चाहा है, किन्तु सरकारी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में काफी समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
6. पत्रावली के अदालत/कोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 8,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिपूर्ति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्गीत सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि सय व्याज कुल 10,84,893/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.03.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का मौक्तिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रामप्यारी देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 28-ए, गणेश विहार, विजयपुरा, आगरा रोड, जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का मौक्तिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
 आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 05.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।




 जिला न्यायालय
 (कलेक्टर) जयपुर